## DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Wednesday, 30<sup>th</sup> June, 2011/ Aashad 09, 1933 (Saka)

No. 126

## Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS.

The following messages addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, were received from Addl. Commissioner of Police, New Delhi Distt., New Delhi:

"I have the honour to inform you that Hon'ble Members of Legislative Assembly Delhi; Prof. Vijay Kumar Malhotra, Shri Ramesh Bidhuri, Shri Jai Bhagwan Aggarwal, Shri Anil Jha, Shri Subhash Sachdeva, Shri Jagdish Mukhi and Dr. Harshvardhan were detained u/r Section 65 of DP Act, 1978 to maintain law and order and public peace, from 1<sup>st</sup> Barricade in front of Police Station, Parliament Street, New Delhi at 1221 hours on 25.6.2011."

They were released at 1230 hours from the same place on the same day.

P. N. MISHRA Secretary

## दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी

बुद्धवा२, ३० जून, २०११/आषाढ ०९, १९३३ (शक)

शंख्या-126

## सदस्य की शिरफ्तारी पुवं रिहाई

माननीय अध्यक्षा, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिश्वित पुलिस आयुक्त, जिला नई दिल्ली, नई दिल्ली से निम्नलिस्त्रित संदेश प्राप्त हुआ है:-

मुझे आपको ससमान यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों प्रो.विजय कुमार मल्होत्रा, श्री रमेश बिधुडी, श्री जय भगवान अग्रवाल, श्री अनिल झा, श्री सुभाष सचदेवा, श्री जगदीश मुखी और डा. हर्ष वर्द्धन को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा-65 के अंतर्गत कानून एवं व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के उद्देश्य से 25.06.2011 को पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली से 12:21 बजे अपराह्न शिरफ्तार किया गया।

उन्हें उसी दिन, उसी स्थान से अपराह्न 12:30 बजे रिहा कर दिया गया।

पी.एन.मिश्रा शचिव